

V

वित्तीय बाज़ार और विदेशी मुद्रा प्रबंधन

वर्ष 2015-16 के दौरान भारतीय रिज़र्व बैंक ने ऐसे उपाय किए जिनका मकसद सहभागिता को विस्तार देना था - घरेलू और विदेश दोनों स्तरों पर, अनेक प्रकार के उत्पाद लाए गए और वित्तीय बाज़ार की मूलभूत सुविधाओं को सहारा प्रदान किया गया। मुद्रा बाज़ार में अनेक पहल की गईं जिनमें शामिल हैं चलनिधि का अग्रसक्रिय प्रबंधन, बाज़ार के सहभागियों को अधिक लोच प्रदान करना, अस्थिरता को कम करना तथा मौद्रिक नीति के संकेतों के प्रसारण को बेहतर बनाना। विदेशी मुद्रा बाज़ार की रेगुलेटरी व्यवस्था को लेनदेन के नियमों एवं रिपोर्टिंग की आवश्यकताओं के अनुरूप और भी कारगर बनाया गया।

V.1 भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारत में वित्तीय बाज़ार के विकास को बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं के अनुसार समय-समय पर मार्गदर्शन तो दिया ही है, साथ ही उसका पोषण भी किया है, लेकिन उसकी पहुंच को बेहतर बनाने एवं विश्व से जोड़ने पर ध्यान हाल के दिनों में केंद्रित किया गया है। इस बात के भी प्रयास किए गए हैं कि वर्तमान रेगुलेशंस को सतत आधार पर युक्तिपरक बनाते हुए और प्रलेखन आवश्यकताओं को सरल करते हुए कारोबार करना और भी आसान बनाया जाए। वहीं पर, वित्तीय बाज़ार को बाहरी और भीतरी आघात को सहन करने के प्रति सुदृढ़ बनाने के लिए कदम उठाए गए हैं।

वित्तीय बाज़ार विनियमन विभाग (एफएमआरडी)

V.2 एफएमआरडी की प्राथमिक जिम्मेदारी मुद्रा बाज़ार, सरकारी प्रतिभूति (जी-सेक) बाज़ार, विदेशी मुद्रा एवं संबंधित डेरिवेटिव बाज़ारों को विनियमित तथा विकसित करना है। विभाग ने सभी सहभागियों के लिए बाज़ार के मानदंडों को सरल बनाने, उन तक पहुंच को बेहतर बनाने, वित्तीय उत्पादों की संख्या बढ़ाने, बाज़ार की मूलभूत सुविधाओं को मजबूत करने तथा नीतिगत इनपुट के लिए बाज़ार का विश्लेषण प्राप्त करने एवं निगरानी व्यवस्था के संबंध में उसे दिए गए अधिदेश को पूरा करने के बारे में भरसक प्रयास किए हैं।

2015-16 के लिए कार्यसूची : कार्यान्वयन की स्थिति

V.3 एक ऐसी व्यवस्था विकसित करने के लिए जिसमें निवेश करने का अनुमान पहले से लगाया जा सके, अक्टूबर 2015 में एक मध्यावधि ढांचे (एमटीएफ) की घोषणा की गई थी ताकि केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों तथा राज्य विकास ऋणों के लिए विदेशी पोर्टफोलियो

निवेश की सीमा को चरणबद्ध रूप से बढ़ाया जा सके। सरकारी प्रतिभूतियों में अधिक खुदरा सहभागिता के प्रोत्साहन से संबंधित कार्यान्वयन समूह (अध्यक्ष: श्रीमती रेखा वारियर) की सिफारिशों के आधार पर भारतीय समाशोधन निगम लिमि. (सीसीआईएल) को यह सूचित किया गया कि डीमैट खाताधारकों को तयशुदा लेनदेन प्रणाली आर्डर मैचिंग (एनडीएस-ओएम) में भाग लेने की योग्यता प्रदान की जाए।

V.4 वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद उप-समिति (एफएसडीसी-एससी) के अंतर्गत गठित कार्यदल (अध्यक्ष: हारून आर. खान) ने सहभागिता को सुदृढ़ बनाने, बाज़ार की बुनियादी सुविधाओं को बेहतर करने तथा कार्पोरेट बांडों को जारी करने की प्रक्रिया को आसान बनाने के अनेक उपायों पर विचार किया था। गैर-सूचीबद्ध प्रतिभूतियों और प्रतिभूति ऋण लिखतों को शीघ्र ही विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक (एफपीआई) निवेश के लिए कार्पोरेट ऋण के बास्केट में जोड़ दिया जाएगा।

V.5 एक्सचेंजों में क्रॉस-करेंसी फ्यूचर्स और ऑप्शंस को प्रारंभ करने से संबंधित दिशानिर्देश 10 दिसंबर, 2015 को जारी कर दिए गए थे। अंतर्निहित करेंसी एक्सपोजर्स के सहारे कवर्ड ऑप्शंस की अनुमति दे दी गई है। ब्याज दर ऑप्शंस को प्रारंभ करने से संबंधित कार्य समूह (अध्यक्ष: प्रोफेसर पी.जी. आपटे) की सिफारिशों पर बाज़ार के सहभागियों से उनके अभिमत मांगे गए थे।

V.6 वर्तमान हेजिंग सुविधाओं को और उदार बनाने तथा ओटीसी एवं एक्सचेंजों पर कारोबार करने वाले बाज़ारों को सुसंगत बनाने हेतु समस्त निवासी व्यक्तियों, फर्मों और कंपनियों के लिए विदेशी मुद्रा फारवर्ड तथा विदेशी मुद्रा-भारतीय रुपया (एफसीवाई-आइएनआर)

आप्लॉस कान्ट्रैक्ट्स को घोषणा आधार पर बुक करने की सीमा 250,000 अमरीकी डॉलर से बढ़ाकर 1,000,000 अमरीकी डॉलर कर दी गई है। भारतीय निवासी जिनके पास दीर्घकालिक विदेशी मुद्रा (एफसीवाई) उधारी हैं, उन्हें बहुराष्ट्रीय अथवा अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं (एमएफआई/आईएफआई) के साथ एफसीवाई-आइएनआर स्वैप प्रक्रिया में प्रवेश करने की अनुमति प्रदान की गई है, जिसमें भारत सरकार हिस्सेदार सदस्य है, बशर्ते कि इस प्रकार का स्वैप संबंधित एमएफआई/आईएफआई द्वारा बैंक-टू-बैंक आधार पर भारत में प्राधिकृत व्यापारी (एडी) श्रेणी-I बैंक द्वारा किया गया हो।

V.7 विभिन्न वित्तीय लिखतों के संबंध में वर्तमान दिशानिर्देशों की व्यापक समीक्षा इस दृष्टि से की गई है कि उनमें सहभागिता को युक्तिपरक बनाया जा सके। जब-जारी बाज़ार (वेन इश्यूड मार्केट) में अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को शार्ट-पोजीशन (खरीद से अधिक बिक्री) की अनुमति दी गई है जबकि सभी पात्र संस्थाओं को लांग-पोजीशन (अधिक्रय) की अनुमति प्रदान की गई है। प्राथमिक व्यापारियों (पीडी) को एक्सचेंज में किए जा रहे करेंसी फ्यूचर्स बाज़ार में भाग लेने की इजाजत दी गई है। ओटीसी डेरिवेटिव में सहभागिता को और व्यापक बनाने के लिए बैंक और पीडी को छोड़कर रेगुलेटेड संस्थाओं जैसे म्यूचुअल फंड तथा बीमा कंपनियों को इन डेरिवेटिव में इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफार्म पर व्यापार करने के लिए पात्र बनाया गया है जिसका गारंटीकृत निपटान सीसीआईएल द्वारा किया जाएगा।

V.8 नीति बनाने की प्रक्रिया को और सुविज्ञ बनाने के प्रस्ताव पर वित्तीय बाज़ार से संबंधित तकनीकी परामर्शदात्री समिति के अधीन ओटीसी डेरिवेटिव्स सुधार संबंधी स्थायी दल का गठन किया गया है।

V.9 फाइनेंशियल बेंचमार्क इंडिया प्रा.लिमि. (एफबीआईएल) ने वास्तविक व्यापार दर पर आधारित ओवरनाइट अंतर-बैंक दर के बेंचमार्क के प्रशासन का कार्य 22 जुलाई, 2015 से संभाल लिया है, और वर्तमान 'एफआईएमएमडीए-एनएसई ओवरनाइट एमआईबीआईडी/मिबोर' के स्थान पर 'एफबीआईएल-ओवरनाइट मिबोर' को रखा गया है। एफबीआईएल ने मुंबई अंतर-बैंक प्रस्ताव दर, (मिबोर) के मतानुसार तीन अवधियों में 23 सितंबर, 2015 से प्रकाशित करना प्रारंभ कर दिया है अर्थात् 14 दिवस, एक माह और तीन माह की अवधि के अनुसार। इन प्रयासों के साथ-साथ इसने

एफबीआईएल एफसी-रुपये आप्लॉस अस्थिरता मैट्रिक्स दरों को भी 05 मई, 2016 से प्रकाशित करना शुरू कर दिया है। एफबीआईएल का प्रस्ताव है कि वह हितधारकों से परामर्श करके कुछ समय में विदेशी मुद्रा बेंचमार्क तथा अन्य भारतीय रुपया (आईएनआर) ब्याज दर बेंचमार्क के प्रशासन का कार्य अपने हाथ में ले लेंगे। सीसीआईएल ट्रेड रिपाजिटरी ने और अधिक पारदर्शिता लाने के लिए आंकड़ों के प्रसार को सार्वजनिक करते हुए सकल आधार पर देना शुरू कर दिया है। ब्याज दर स्वैप/वायदा दर करार, ऋण चूक स्वैप (सीडीएस), और अमरीकी डॉलर/भारतीय रुपया वायदा और आप्लॉस से संबंधित अंतरबैंक ओटीसी व्यापार से डाटा के अतिरिक्त सीसीआईएल ने अल्पकालिक अमरीकी डॉलर/भारतीय रुपया अंतर-बैंक निकट परिपक्वता स्वैप अर्थात् नकदी-टॉम, टॉम-स्पॉट और नकदी-स्पॉट संबंधी डाटा को भी 28 दिसंबर 2015 से प्रसारित करना प्रारंभ कर दिया है।

वर्ष 2016-17 के लिए कार्यसूची

V.10 इस समय जिन पहल पर विचार किया जा रहा है उनमें शामिल हैं- भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के साथ मिलकर ई-कुबेर में परिवर्तन करना ताकि डीमैट खातों और सहायक सामान्य लेजर/सर्वोत्तम निवेश खातों के बीच सरकारी प्रतिभूतियों का अंतरण आसानी से किया जा सके और कार्पोरेट बांड में रेपो के लिए इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफार्म को क्रियाशील बनाना। ओटीसी विदेशी मुद्रा बाज़ार में प्रलेखीकरण की आवश्यकता की व्यापक समीक्षा से संबंधित संरचना मसौदे पर सार्वजनिक फीडबैक प्राप्त हो गया है और उसे लागू करने के लिए उसका परीक्षण किया जा रहा है। कमर्शियल पेपर (सीपी), सीडीएस और प्रतिभूतियों के पंजीकृत ब्याज और मूलधन की अलग-अलग ट्रेडिंग (स्ट्रिप्स) से संबंधित दिशानिर्देशों की समीक्षा की जाएगी ताकि इन उत्पादों में ट्रेडिंग गतिविधियों को मजबूत बनाया जा सके। करेंसी आप्लॉस की उपयुक्तता और औचित्य से संबंधित दिशानिर्देशों पर पुनः विचार किया जाएगा ताकि उनमें प्रतिबंध को कम किया जा सके। बाज़ार से प्राप्त फीडबैक पर विचार करते हुए, ब्याज दर आप्लॉस को लागू करने के संबंध में अंतिम दिशानिर्देश जारी किए जाएंगे। रुपया फ्यूचर्स बाज़ार को और अधिक विकसित करने के लिए मुद्रा बाज़ार फ्यूचर्स लागू किया जाएगा।

V.11 ओटीसी डेरिवेटिव को एक्सचेंज या इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, जहां भी उपयुक्त हो, पर शिफ्ट करने से संबंधित जी-20 के अधिदेश का पालन करने की दृष्टि से इस प्रकार के प्लेटफॉर्मों को अधिकृत करने का फ्रेमवर्क लागू किया जाएगा। वैध संस्था अभिज्ञापक (एलईआई) विश्व के वित्तीय लेनदेन में शामिल पार्टियों की विशिष्ट पहचान करती है, इसकी जरूरत विश्व के वित्तीय संकट के बाद महसूस की गई। वित्तीय बाजार की संस्थाओं के लिए एलईआई व्यवस्था को लागू करने का कार्य वर्ष के दौरान प्रारंभ किया जाएगा। सीसीआईएल ट्रेड रिपाजिटरी द्वारा ओटीसी फारेक्स डेरिवेटिव लेनदेन को प्रसारित करने के दायरे में विस्तार किया जाएगा।

V.12 बाजार की निगरानी को प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करते हुए सुदृढ़ बनाया जाएगा। सभी बाजार खंडों में डाटा का विश्लेषण करने के लिए परिष्कृत निगरानी क्षमताओं का सहारा लिया जाएगा। फिन टेक का फायदा उठाने के लिए बाजार की मूलभूत सुविधाओं को सुदृढ़ बनाने हेतु उद्योग के सहभागियों तथा अन्य केंद्रीय बैंकों की सेवाएं लेते हुए विभिन्न प्रकार के नवोन्मेष को अपनाने के बारे में संभावनाओं का पता लगाया जाएगा।

V.13 पण्य कीमत से जुड़े जोखिमों में भारतीय संस्थाओं का एक्सपोजर बढ़ गया है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था का विश्व की अन्य अर्थव्यवस्थाओं के साथ अधिकाधिक रूप से जुड़ने और सीमापार व्यापार की मात्रा के बढ़ने से हुआ। भारतीय संस्थाओं द्वारा सीमापार बाजारों में पण्य कीमत से जुड़े जोखिमों को हेज करने के लिए कवर किए गए पण्यों, अनुमत उत्पादों तथा उपयोगकर्ताओं के संबंध में गैप्स को कम करने के मकसद से वर्तमान ढांचे की समीक्षा करने के लिए एक विशेषज्ञ समूह का गठन किया जाएगा।

वित्तीय बाजार परिचालन विभाग (एफएमओडी)

V.14 एफएमओडी का दायित्व है कि वह मौद्रिक नीति के प्रसारण में सहयोग करने के लिए रिजर्व बैंक के नीतिगत रुझान के अनुरूप वित्तीय बाजार के परिचालनों का संचालन करे।

वर्ष 2015-16 की कार्यसूची : कार्यान्वयन की स्थिति

मुद्रा बाजार और चलनिधि प्रबंधन

V.15 वित्तीय प्रणाली में उपयुक्त स्तर पर चलनिधि बनाए रखने के लिए चलनिधि प्रबंधन परिचालनों जैसे, चलनिधि समायोजन

सुविधा (एलएएफ) के अंतर्गत नियत/परिवर्तनीय दर रेपो/रिवर्स रेपो, ओवरनाइट सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ), अन्य स्थायी सुविधाओं और एकमुश्त खुला बाजार परिचालन (ओएमओ) का उपयोग किया गया है ताकि मुद्रा बाजार की दरों को नीतिगत दर के समरूप बनाया जा सके जिससे मौद्रिक नीति के संकेतों का प्रसारण और भी प्रभावशाली हो सके। उभरती हुई चलनिधि स्थितियों को ध्यान में रखते हुए मीयादी मुद्रा खंड के संवर्धन के लिए जनवरी 2016 में 56 दिवसीय परिवर्तनीय दर रेपो का संचालन किया गया। चलनिधि के परिचालन को सहज बनाने हेतु, उसका प्रौद्योगिकी उन्नयन करते हुए नियत दर रेपो और रिवर्स रेपो के लिए तथा एमएसएफ के लिए 03 अगस्त, 2015 को स्ट्रेट थ्रू प्रोसेसिंग (एसटीपी) की शुरुआत की गई, ताकि उसके पात्र सहभागियों को बोली लगाते ही प्रस्ताव देने पर तत्काल क्रेडिट/डेबिट प्राप्त हो सके। एलएएफ/एमएसएफ विंडो की समयावधि में नरमी बरतते हुए 30 नवंबर, 2015 से और बढ़ा दिया गया है।

V.16 परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 25 के अंतर्गत प्रत्येक महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को बैंकों के लिए सार्वजनिक छुट्टी होने के फलस्वरूप यह निर्णय किया गया कि मुद्रा बाजार के सभी खंडों को 01 सितंबर, 2015 से शनिवार कार्यदिवसों को खुला रखा जाए। चलनिधि परिचालनों को भुगतान प्रणाली के समरूप बनाने के लिए रिवर्स रेपो और एमएसएफ को 19 फरवरी, 2016 से मुंबई में उन सभी छुट्टी के दिनों में संचालित किया जा रहा है जब तत्काल सकल निपटान प्रणाली (आरटीजीएस) क्रियाशील रहती थी।

भारतीय रिजर्व बैंक संदर्भ दर

V.17 रिजर्व बैंक द्वारा वित्तीय बेंचमार्क से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर अध्ययन करने के लिए वित्तीय बेंचमार्क समिति (अध्यक्ष : श्री पी. विजय भास्कर) का गठन किया गया था, जिसने यह सिफारिश की है कि अमरीकी डॉलर/भारतीय रुपया की रिजर्व बैंक की संदर्भ दर बाजार के वास्तविक लेनदेन के आधार पर तय की जाए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वह प्रचलित हाजिर दर का उपयुक्त रूप से प्रतिनिधित्व करती है। तदनुसार, 2 मई, 2016 से रिजर्व बैंक संदर्भ दर की गणना बाजार के ऐसे वास्तविक लेनदेन की मात्रा के

भारत औसत के आधार पर की जाती है जो 15 मिनट विंडो पर प्रति सप्ताह (शनिवार, रविवार और मुंबई में बैंक अवकाश को छोड़कर) पूर्वाह्न 11.30 बजे और दोपहर 12.30 बजे के बीच हुए लेनदेनों का क्रमरहित तरीके से चयन करते हुए की जा रही है। अन्य तीन संदर्भ दरों अर्थात् यूरो/भारतीय रुपया, पाउंड/भारतीय रुपया, और येन/ भारतीय रुपया की गणना की प्रक्रिया, जिसमें अमरीकी डॉलर/ भारतीय रुपया की संदर्भ दर को लागू प्रमुख यूरो/अमरीकी डॉलर, पाउंड/ अमरीकी डॉलर और अमरीकी डॉलर/येन दरों से काटा जाता है, को जारी रखा जाएगा।

विदेशी मुद्रा बाज़ार

V.18 विदेशी मुद्रा बाज़ार में वर्ष के दौरान हाज़िर, वायदा और फ्यूचर्स खंडों में परिचालन कार्य द्वारा स्थिति को अनुशासित बनाए रखा गया था। विदेशी मुद्रा बाज़ार में अस्थिरता को दूर करने के लिए एक अतिरिक्त उपाय के रूप में एक्सचेंज में ट्रेड किए जाने वाले करेंसी डेरिवेटिव (ईटीसीडी) खंड में सितंबर 2015 से हस्तक्षेप किया जाना प्रारंभ किया गया है। पिछले कुछ महीने से यह एक उपयोगी सहायक उपकरण सिद्ध हुआ है।

वर्ष 2016-17 के लिए कार्यसूची

V.19 विभाग का यह लक्ष्य है कि संशोधित ढांचे के अनुसार चलनिधि प्रबंधन परिचालनों को कारगर रूप से किया जाए, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ पूरे वर्ष टिकाऊ चलनिधि की आपूर्ति करते हुए प्रणाली में औसत प्रत्याशित चलनिधि की कमी को उस स्थिति तक कम करना ताकि वह तटस्थता की स्थिति के निकट आ जाए। विभाग, विदेशी मुद्रा परिचालनों का कार्य, हस्तक्षेपों के साथ, प्रभावी रूप से करता रहेगा। विभाग बाज़ार की स्थितियों पर निगाह रखेगा ताकि सितंबर 2016 से आगे परिपक्व होने वाली विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) खाता एफसीएनआर (बी) जमाराशियों की जमानत पर रियायती विदेशी मुद्रा स्वैप को सुकर बनाया जाना सुनिश्चित किया जा सके।

V.20 विभाग का यह भी इरादा है कि कुछ ऐसे उपाय प्रारंभ किए जाएं जो मीयादी मुद्रा बाज़ार के विकास में सहायक हो सकें जैसे निर्दिष्ट अवधि के रेपो लेनदेन के लिए एलएएफ विंडो में प्रतिभूतियों की स्थानापन्नता की शुरुआत करना और एलएएफ/एमएसएफ

विंडोज के लिए प्रतिभूतियों के बाज़ार मूल्य पर आधारित संपार्श्विक स्वीकार करना। विभाग ने पिछले कई वर्षों में बाज़ार के उतार-चढ़ाव/व्यवहार के बारे में कई अनुसंधानपरक अध्ययन किए हैं जिससे नीति तथा परिचालनगत ढांचे को आकार देने में सहायता मिली है। विभाग का प्रस्ताव है कि वित्तीय बाज़ार के संबंध में नीति उन्मुख अनुसंधान कार्य जारी रखा जाए।

विदेशी मुद्रा विभाग (एफईडी)

V.21 विदेशी मुद्रा विभाग का अधिदेश यह है कि भारत में विदेशी मुद्रा बाज़ार के व्यवस्थित विकास एवं अनुरक्षण को प्रोत्साहित किया जाए तथा बाह्य व्यापार एवं भुगतान को आसान बनाया जाए। तदनुसार, वर्ष 2015-16 के दौरान जो उपाय किए गए उनका उद्देश्य कारोबार करने में आसानी लाने को प्रोत्साहित करना था, अंतरराष्ट्रीय लेनदेन में बढ़ती हुई जटिलताओं को दूर करने पर खास तौर पर ध्यान केंद्रित किया गया और साथ ही रेगुलेशंस एवं विवरणियों को युक्तिसंगत बनाते हुए, समीक्षा करते हुए तथा संशोधित करते हुए रेगुलेटरी लागतों को भी कम किया गया।

वर्ष 2015-16 की कार्यसूची : कार्यान्वयन की स्थिति

V.22 वर्ष 2015-16 के दौरान बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) से संबंधित दिशानिर्देशों को मैक्रो-आर्थिक गतिविधियों तथा वर्षों तक ईसीबी के नियंत्रण से हासिल अनुभवों के अनुसार युक्तिपरक एवं उदार बना दिया गया है। ईसीबी के संशोधित ढांचे के अति महत्वपूर्ण सिद्धांत इस प्रकार हैं : (i) अंतिम उपयोग पर मामूली सी पाबंदी, दीर्घकालिक एफसीवाई उधार के लिए समस्त लागत की उच्चतम सीमा को बढ़ाना क्योंकि बढ़ी हुई अवधि में चुकौती अधिक वहनीय बन जाती है तथा उधारकर्ता के लिए रोलओवर जोखिम न्यूनतम हो जाता है; (ii) ऐसे भारतीय मूल्यवर्ग के ईसीबी के लिए और अधिक उदार दृष्टिकोण जिसमें करेंसी जोखिम उधारदाता द्वारा वहन किया जाता है, (iii) दीर्घकालिक उधारदाताओं जैसे-सरकारी संपदा निधि और पेंशन निधि को शामिल करने के लिए पात्र विदेशी उधारदाताओं की सूची को विस्तार देना, तथा (iv) ईसीबी के लिए पात्र मूलभूत सुविधा वाली संस्थाओं की सूची को भारत सरकार की सुसंगत सूची के समरूप बनाना।

V.23 आयात के लिए व्यापार ऋण व्यवस्था की संरचना में अधिक लचीलापन प्रदान करने के लिए निवासी आयातकों को भारतीय रुपए

में व्यापार ऋण जुटाने की अनुमति दी गई जिससे करेंसी संबंधी जोखिम को विदेशी उधारदाता पर अंतरित किया जा सके। विदेश से रूपए मूल्यवर्ग में उधार/बांड लेने की प्रक्रिया को सहज बनाने के लिए इस प्रकार के निर्गमों हेतु एक संरचना लागू की गई है जिसमें उसके पैरामीटर्स जैसे-पात्र उधारकर्ता, निर्दिष्ट निवेशक, परिपक्वता, राशि तथा अंतिम उपयोग को परिभाषित किया गया है (बॉक्स V.1)।

V.24 निर्यात डाटा प्रोसेसिंग और निगरानी प्रणाली (ईडीपीएमएस) को क्रियाशील करने से निर्यात संबंधी लेनदेन पर निगरानी बेहतर हुई है, इसके बाद आयात संबंधी लेनदेन के लिए एनालॉगस सूचना प्रौद्योगिकी पर आधारित प्रणाली [आयात डाटा

प्रोसेसिंग और निगरानी प्रणाली (आईडीपीएमएस)] क्रियाशील की जा रही है।

V.25 विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा), 1999 मूल रूप से 25 अधिसूचनाओं के साथ पारित हुआ था, उसके बाद उसमें 300 संशोधन किए जा चुके हैं। इस संदर्भ में फेमा अधिसूचनाओं (जो अधीनस्थ कानून हैं) को युक्तिपरक बनाने का कार्य किया गया है। अब तक 15 मूल अधिसूचनाओं और 95 संशोधनों को युक्तिपरक बनाया जा चुका है और उन्हें 13 अधिसूचनाओं में 'आर' श्रृंखला के अंतर्गत समेकित किया गया है। इसके अलावा, 17 मास्टर निदेश जारी किए गए हैं जिनमें फेमा के अंतर्गत बनाए

बॉक्स V.1 मसाला बॉन्ड

भारत में कुल कापॉरेट फंडिंग में कर्ज लेकर विदेशी मुद्रा मूल्यवर्ग में की गई फंडिंग का हिस्सा जिसमें बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी), व्यापार क्रेडिट और बांड शामिल हैं, लगभग पांचवां है (आईएमएफ 2016)। इस प्रकार, यदि कापॉरेट्स ने जोखिम से बचाव पर्याप्त रूप से नहीं किया है तो उसे विनिमय दर जोखिमों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए, यह विदेशी ऋण पूंजी (संविदागत एवं मार्केटबल दोनों) को भारतीय रूपए में जुटाने का उपयुक्त मामला बन जाता है।

कुछ देशों के निर्गमकर्ताओं ने हाल के वर्षों में आफशोर स्थानीय करेंसी बांड जारी किए हैं। लेकिन इस प्रकार के निर्गमों को, चीन छोड़कर, ज्यादा बढ़ावा नहीं मिला है। चीन के प्राधिकारियों द्वारा युआन (सीएनवाई) को अंतरराष्ट्रीय स्वरूप प्रदान करने के प्रयासों से बड़े पैमाने पर आफशोर रेमिनबी डिपाजिट का बड़ा आधार बन गया और 2010-14 के दौरान आफशोर सीएनवाई बांडों के निर्गमों में एक बाढ़ सी आ गई। लेकिन, सीएनवाई के अवमूल्यन, कुछ चीनी संस्थाओं द्वारा की गई चूक तथा स्थानीय बाजार में बेहतर उपलब्धता के चलते हाल के समय में निवेशकों की भूख समाप्त सी हो गई है। वर्ष 2015 में आफशोर सीएनवाई बांड का निर्गम गिरकर 17 बिलियन अमरीकी डॉलर के बराबर पहुंच गया जो 2014 में 33 बिलियन अमरीकी डॉलर की रिकार्ड ऊंचाई तक पहुंच गया था और वर्ष 2016 के पहले दो महीनों में कोई नया निर्गम नहीं जारी हुआ है। मेक्सिको, ब्राजील और फिलीपीन्स ने भी कुछ राशियों के आफशोर स्थानीय करेंसी बांड के निर्गम जारी किए हैं। संक्षेप में देखें तो उभरते बाजार के देशों से जारी होने वाले आफशोर घरेलू करेंसी बांडों के निर्गमों का हिस्सा अभी भी बहुत कम है।

भारत में, सितंबर 2011 में विदेश से रूपए मूल्यवर्ग में संविदागत उधार लेने की जहां अनुमति प्रदान की गई थी, वहीं सितंबर 2015 में रिजर्व बैंक ने भारतीय संस्थाओं को विदेश में रूपए मूल्यवर्ग में बांड निर्गत करने की भी अनुमति प्रदान कर दी है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इस प्रकार की सामान्य अनुमति दिए जाने से पूर्व अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं जैसे - एशिया विकास बैंक और अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम (आईएफसी) ने रिजर्व बैंक से पहले ही विदेशों में रूपए मूल्यवर्ग में बांड जारी करने की अनुमति प्राप्त कर ली थी। आईएफसी ने अपने रूपए मूल्यवर्ग के

बांड को 'मसाला बांड' के रूप में नाम दिया था, जिसने अनेक अवसरों पर 15 वर्ष की लंबी अवधि तक की परिपक्वता वाले इस तरह के बांड जारी करने में सफलता प्राप्त की थी, वहीं भारत में दृढ़ मैक्रो-आर्थिक परिदृश्य तथा अपेक्षाकृत करेंसी की स्थिर अवस्था को देखते हुए भारतीय कापॉरेट्स द्वारा विदेश में जारी रूपए बांड की ओर निवेशक आकर्षित हो सकते हैं। विदेशी निवेशक जो पहले से ही भारतीय घरेलू करेंसी के क्षेत्र में आ चुके हैं वे भी विदेशी रूपए उत्पाद लेने में दिलचस्पी दिखा सकते हैं। भारत में सीधे निवेश करने की प्रक्रिया (विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक (एफपीआई) के रूप में पंजीकरण कराना तथा घरेलू अभिरक्षक एवं दलालों तथा स्थानीय निपटान प्रणाली का शामिल होना) की तुलना में विदेश में रूपए बांड की उपलब्धता और भी आसान तरीके से होती है। प्राथमिक रूप से इसकी न्यूनतम परिपक्वता अवधि की पाबंदी के साथ उसकी लागत पर कोई प्रतिबंध नहीं है तथा उसका अंतिम-उपयोग तो वस्तुतः खुला रखा गया है, इसलिए विदेश में रूपए मूल्यवर्ग के बांड की विंडो से यह उम्मीद की जाती है कि भारतीय कापॉरेट्स जिन्हें धन की जरूरत है तथा विदेशी निवेशक जिन्हें प्रतिलाभ की आवश्यकता है, यह विंडो उसे पूरा करने का आधार बन जाएगी। यह विंडो जिसमें विदेशों में निजी तौर पर बांड को आबंटित करने की प्रारंभिक गतिविधियां पाई गईं, वहां उसने विविध ऑफशोर निवेशकों का भारतीय कंपनियों के रूपया मूल्यवर्ग में जारी पेपर में रुचि बढ़ने से जोर पकड़ा। भारतीय कंपनियों द्वारा अगस्त 2016 के पहले सप्ताह तक इस प्रकार के पेपर्स के लिए 60 बिलियन रूपए के कुल करार किए गए हैं। उधारियों से बेंचमार्क दर का पता लगाने में सहयोग मिलेगा। इसके अतिरिक्त, (i) निवेशकों को कर समायोजन करके प्रतिलाभ देना तथा उधारकर्ताओं के लिए तुलनात्मक लागतें उपलब्ध कराना, (ii) विदेशी बांड के लिए द्वितीय बाजार (सेकंडरी मार्केट) में चलनिधि की उपलब्धता जैसे मुद्दों का समाधान करने से यह मार्ग अधिक आकर्षक बन पाएगा।

संदर्भ :

अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ), 2016 कंट्री रिपोर्ट सं.16/76 - भारत, मार्च।

गए नियमों और विनियमों के अंतर्गत अनुमत विभिन्न श्रेणियों के लेनदेन शामिल हैं। जब भी नियमों/विनियमों या नीति में परिवर्तन होता है उसे साथ-साथ मास्टर निदेश में अद्यतन कर दिया जाता है।

विदेशी निवेश व्यवस्था को आसान बनाना

V.26 वर्ष के दौरान कर्मचारी स्टॉक ऑप्शंस (ईएसओपी) योजना से संबंधित विनियमों को सेबी रेगुलेशंस (सूचीबद्ध कंपनियों के लिए) और कंपनी कार्य मंत्रालय के विनियम (गैर-सूचीबद्ध कंपनियों के लिए) के अनुरूप दुबारा तैयार किया गया है। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) को अनिवासी भारतीयों (एनआरआई) के लिए पात्र निवेश ऑप्शन बना दिया गया है।

V.27 सरकार द्वारा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) में घोषित संशोधन के अनुसरण में विनियमों को इस प्रकार आशोधित किया गया है : (i) जहां भी विदेशी निवेश के लिए क्षेत्रगत सीमा/ उच्चतम सीमा लागू है, वहां ऐसी सीमा/उच्चतम सीमा की गणना यौगिक रूप से की जाएगी जिसमें एफडीआई और एफपीआई दोनों को जोड़ा जाएगा और भारतीय कंपनी का 'कुल विदेशी निवेश' प्रत्यक्ष और परोक्ष विदेशी निवेशों के सकल योग को माना जाएगा; (ii) आटोमैटिक रूट के अंतर्गत सीमित देयता भागीदारी (एलएलपी) में विदेशी निवेश की अनुमति उन क्षेत्रों के लिए दी गई है जहां 100 प्रतिशत एफडीआई की अनुमति एफडीआई - संबद्ध निष्पादन शर्त की उपस्थिति के बिना प्रदान की गई है; (iii) आटोमैटिक रूट के अंतर्गत 100 प्रतिशत तक के विदेशी निवेश की अनुमति बागान क्षेत्र में प्रदान की गई है जिसमें चाय, कॉफी, रबड़, इलायची, ताड़ के तेल के वृक्ष, जैतून तेल के वृक्ष की बागानी शामिल है; (iv) 'भू-संपदा कारोबार' की परिभाषा को संशोधित कर दिया गया है और किराये पर दी गई संपत्ति से होने वाली आय, जिसे अंतरित नहीं किया जाना है, उसे 'भू-संपदा कारोबार' के रूप में नहीं गिना जाएगा; (v) विनिर्माण को एक निश्चित परिभाषा दी गई है जिसमें आटोमैटिक रूट के अंतर्गत 100 प्रतिशत तक विदेशी निवेश की अनुमति प्रदान की गई है; (vi) पुख्ता मकान में बने स्टोर्स के माध्यम से सिंगल ब्रांड में खुदरा व्यापार करने

वाली संस्थाओं को ई-कॉमर्स के माध्यम से खुदरा व्यापार करने की अनुमति प्रदान की गई है, और (vii) आटोमैटिक रूट के अंतर्गत बीमा क्षेत्र में विदेशी निवेश को 26 प्रतिशत से बढ़ाकर 49 प्रतिशत कर दिया गया है।

स्टार्ट-अप

V.28 02 फरवरी, 2016 को घोषित मौद्रिक नीति वक्तव्य के अनुसरण में कारोबार करना आसान बनाने और पारिस्थितिक तंत्र में सहयोग करने, जो शुरू किए गए कारोबार को आगे बढ़ाने में सहायक हो, के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं, तदनुसार, स्टार्ट-अप क्षेत्र को सहायता तथा मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए एक समर्पित मेल-बॉक्स बनाया गया है। इसके अतिरिक्त, बाहर पैसा भेजने के लिए ए2 फार्म को आनलाइन प्रस्तुत करने की सुविधा प्रदान की गई है। प्रारंभ करने से संबंधित कतिपय लेनदेन के बारे में स्पष्टीकरण/अधिसूचना इस प्रकार है : (i) गाढ़ी इक्विटी के माध्यम से बिना नकद में भुगतान किए शेयरों को जारी करने की अनुमति प्रदान की गई है बशर्ते वह योजना सेबी या सरकार द्वारा जारी रेगुलेशंस की शर्तों के अनुसार बनी हो; (ii) निवेशिती कंपनी द्वारा ऐसे वास्तविक भुगतान प्राप्त हो जाने पर उसके एवज में शेयर जारी करने, जिसके रেমिटेंस के लिए फेमा के अंतर्गत अनुमति लेने की जरूरत न हो, की अनुमति दी गई है, बशर्ते एफडीआई नीति का पालन किया गया हो ; (iii) एस्क्रो व्यवस्था रखना अथवा निवासी और अनिवासी के बीच शेयरों के अंतरण के संबंध में 18 महीने तक की अवधि के लिए कुल विचारणीय राशि की 25 प्रतिशत तक की राशि का भुगतान आस्थगित आधार पर करना, और (iv) स्टार्ट-अप जिसकी विदेश में सहयोगी संस्था हो उसे भारत से बाहर बैंक में एफसीवाई खाता खोलने की अनुमति दी गई है ताकि स्टार्ट-अप द्वारा किए गए निर्यात/की गई बिक्री से विदेश में उसकी सहयोगी संस्था द्वारा किए गए निर्यात/बिक्री कमाई गई विदेशी मुद्रा और/अथवा प्राप्य राशियों को जमा किया जा सके। इसके अलावा, स्टार्ट-अप या उसकी सहयोगी संस्था द्वारा की गई बिक्री किए गए निर्यात के कारण विदेशी मुद्रा में किए जानेवाले भुगतान को भारतीय स्टार्ट-अप विदेशी मुद्रा अर्जक विदेशी करेंसी (ईईएफसी) खाता में स्वीकार्य क्रेडिट की अनुमति दी गई है। इसके अतिरिक्त, नीचे दिए गए प्रस्ताव भी भारत सरकार के परामर्श

से विचाराधीन है : (i) स्टार्ट-अप को ईसीबी संरचना के अंतर्गत रुपया ऋण की उपलब्धता की अनुमति देना जिसमें पात्र उधारदाता, अंतिम-उपयोग तथा उधार की लागत के बारे में रियायत प्रदान करना आदि; (ii) स्टार्ट-अप द्वारा नये एफडीआई लिखत जैसे परिवर्तनीय नोट्स जारी करना; (iii) स्टार्ट-अप के लिए विदेशी निवेश परिचालनों को व्यवस्थित करना ; और (iv) एफडीआई से संबंधित लेनदेन की विलंब से रिपोर्टिंग पर कार्रवाई की प्रक्रिया को सरल बनाना और उसके लिए रेगुलेशंस में ही दंड व्यवस्था का प्रावधान करना।

भारत में संपर्क कार्यालय, शाखा कार्यालय या परियोजना कार्यालय स्थापित करना

V.29 भारत में कारोबार करना आसान बनाने के लिए रिजर्व बैंक ने भारत में संपर्क/शाखा/परियोजना कार्यालय स्थापित करने हेतु अनुमोदन प्रक्रिया को उदार बना दिया है और अधिकांश प्राधिकार प्राधिकृत बैंकों को सौंप दिए हैं, केवल पाकिस्तान से नागरिकों/वहां पंजीकृत कंपनियों या निगमों से प्राप्त आवेदनों को छोड़कर। इसके अलावा, बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान, ईरान, चीन, हांगकांग या मकाऊ के नागरिकों/वहां पंजीकृत कंपनियों से जम्मू और कश्मीर, उत्तर-पूर्व क्षेत्र और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में कार्यालय खोलने के लिए प्राप्त आवेदनों के संबंध में रिजर्व बैंक से पूर्व अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

अनिवासी जमाराशि और निवासी का विदेशी करेंसी खाता

V.30 समस्त अनिवासी सामान्य रुपया (एनआरओ) खातों में अंतरण की अनुमति प्रदान की गई है। इसके अतिरिक्त, एनआरआई और भारतीय पूल के व्यक्तियों (पीआईओ) को अन्य एनआरआई/पीआईओ के साथ संयुक्त एनआरओ खाता खोलने की अनुमति दी गई है। एनआरआई और पीआईओ के एनआरओ खातों में धारित राशियों में से देश के बाहर पैसे भेजने की जहां अनुमति दी गई है, वहीं प्राधिकृत व्यापारियों (एडी) से अब यह अपेक्षित है कि वे यह घोषणा प्राप्त करें कि जो रेमिटेन्सेस हैं, वे खाताधारक के खाते में भारत में वास्तविक रूप से प्राप्य राशियां हैं और किसी अन्य व्यक्ति से उधार ली गई राशियां नहीं हैं या

फिर किसी अन्य एनआरओ खाता से अंतरित राशियां नहीं हैं। अनिवासी जिन्हें भारत में कारोबार करने में दिलचस्पी है वे कारोबार परिचालनों में लगने वाली रकम के अनुसार प्रत्यावर्तनीय विशेष अनिवासी रुपया (एसएनआरआर) खाता खोल सकते हैं। एक भारतीय कंपनी जिसे एफडीआई मार्ग के अंतर्गत विदेशी निवेश प्राप्त होता है उन्हें भारत में एडी के पास एफसीवाई खाता खोलने तथा रखने की अनुमति प्रदान की गई है बशर्ते उसका एफसीवाई आसन्न व्यय हो। खाते की समस्त अपेक्षाएं पूरी हो जाने के तुरंत बाद या उस खाते को खोलने की तारीख से छह महीने के भीतर, जो भी पहले हो, बंद कर दिया जाए।

काला धन अधिनियम

V.31 26 मई, 2015 को पारित काला धन (अघोषित विदेशी आय और आस्तियां) और कर अधिरोपण अधिनियम के अनुसरण में रिजर्व बैंक ने एक ऐसी प्रक्रिया लागू की है जिससे अधिनियम के अंतर्गत घोषित ऐसी आस्तियों को नियमित किया जाएगा जिन्हें फेमा अथवा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों एवं विनियमों का उल्लंघन करते हुए धारित किया जा रहा है।

व्यापार संबंधी लेनदेन और निपटान

V.32 एशियाई समाशोधन यूनियन (एसीयू) सदस्य देशों के कमर्शियल बैंकों में नास्ट्रो खातों अर्थात् एसीयू डॉलर तथा एसीयू यूरो खातों का उपयोग करने की अनुमति एसीयू देशों के बीच वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात एवं आयात दोनों के भुगतान के निपटान करने के लिए प्रदान की गई है।

V.33 बैंकों को ऐसे निर्यात/आयात लेनदेन के निपटान के मामलों में दिशानिर्देश जारी किए गए जहां इनवाइस पूरी तरह से परिवर्तनीय करेंसी में बने हों तथा निपटान लाभार्थी की करेंसी में किया जा रहा हो, जोकि यद्यपि परिवर्तनीय तो होती है किंतु उनमें डायरेक्ट विनिमय दर नहीं होती है।

V.34 आयातकों द्वारा खुरदुरे, कटे एवं पालिश किए हुए हीरों के संबंध में होने वाली परिचालनगत कठिनाइयों को दूर करने के लिए एडी बैंकों को यह शक्ति प्रदान की गई है कि वे कतिपय शर्तों

के अधीन निर्धारित 180 दिवस की अवधि के बाद भी 180 दिन तक अतिरिक्त अवधि के लिए अग्रलेखी ऋण प्रदान कर सकते हैं।

विवरणियों को युक्तिसंगत बनाना

V.35 विवरणियों को युक्तिसंगत तथा प्रक्रियाओं को उदार बनाने के लिए एफडीआई से संबंधित तीन विवरणियों जैसे - अग्रिम रेमिटेंस फार्म (एआरएफ), फार्म विदेशी करेंसी सकल अनंतिम विवरणी (एफसी-जीपीआर) और फार्म विदेशी करेंसी शेयर अंतरण (एफसी-टीआरएस) की प्रिंट कापी फाइल करने के स्थान पर उन्हें भारत सरकार के ई-बिज़ पोर्टल पर आनलाइन फाइल करने की व्यवस्था की गई है। प्राधिकृत व्यापारी बैंकों द्वारा हीरा डॉलर खाता योजना के अंतर्गत रिज़र्व बैंक को की जाने वाली रिपोर्टिंग समाप्त कर दी गई है। ऐसी विवरणी जिनमें निर्यातक द्वारा उनके ईईएफसी खातों से विदेशी आयातक के प्रति व्यापार किए गए ऋणों एवं अग्रिमों के ब्योरे दिए जाते थे, उनकी फाइलिंग समाप्त कर दी गई है। पूर्ण मुद्रा परिवर्तक (एफएफएमसी)/एडी श्रेणी-II द्वारा अतिरिक्त शाखाएं खोलने पर प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजों में छूट दी गई है जबकि प्रमाणन हेतु साफ्टवेक्स फार्म की एकल/थोक फाइलिंग व्यवस्था सभी साफ्टवेयर निर्यातकों को उपलब्ध करा दी गई है।

फेमा, 1999 के अंतर्गत उल्लंघनों की यौगिक स्थिति

V.36 पारदर्शिता बरतने तथा बेहतर प्रकटीकरण की दृष्टि से रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर 01 जून, 2016 से पारित कंपाउंडिंग आर्डर्स प्रदर्शित किया गया है। सामान्य जनता की जानकारी के लिए कंपाउंडिंग प्रक्रिया के अंतर्गत अधिरोपित राशि की गणना के तौर-तरीकों से संबंधित मार्गदर्शी नोट रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर डाला गया है।

वर्ष 2016-17 के लिए कार्यसूची

V.37 व्यापार, भुगतान और निवेश को और सुविधाजनक बनाने के लिए विभाग : (i) फेमा के अंतर्गत जारी अधिसूचनाओं को युक्तिसंगत एवं आसान बनाने का कार्य पूरा करेगा; (ii) विवरणियों को युक्तिपरक बनाएगा ताकि विदेशी मुद्रा का इस्तेमाल करने वालों पर पड़ने वाले रेगुलेटरी बोझ को कम किया जा सके; (iii) आयात संबंधी लेनदेन पर निगरानी रखने के लिए आईडीपीएमएस को क्रियाशील बनाएगा; और (iv) एफडीआई लेनदेन की विलंबित रिपोर्टिंग पर कार्रवाई करने के लिए एक आसान, संशोधित संरचना लागू करेगा। इसके अतिरिक्त, ऊपर (पैरा V.28) में उल्लिखित स्टार्ट-अप के संबंध में प्रस्तावों को सरकार के परामर्श से लागू किया जाएगा।